न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारीः— श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 104/2018

बउनवानः—

साबूलाल पुत्र श्री गंगाबिशन जाति मीणा निवासी तिसाया तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादी

♠ बनाम ♠

1. आनन्दीलाल पुत्र श्री गणेशराम जाति बैरवा निवासी तिसाया तहसील मांगरोल जिला बारां
2. जिला कलक्टर महोदय बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 आर0टी0एक्ट0 व 136 आर0 एल0 आर0 एक्ट0

वकील वादी : श्री दया कृष्ण धाकड

दायरा दिनांकः 23.08.2018

निर्णय दिनांक : 15.02.2019

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी को दिनांक 21.06.1989 के साबिक खसरा नं0 487 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 352 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा आराजी ग्राम तिसाया तहसील मांगरोल में नियमन हुई थी, जिसके खसरा नं0 737 रकबा 1.54 है0, खसरा नं0 915 रकबा 0.94 है0 राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुये है। इसी प्रकार प्रतिवादी को ग्राम तिसाया तहसील मांगरोल जिला बारां की आराजी साबिक खसरा नं0 484 रकबा 10 बीघा खसरा नं0 916 रकबा 0.90 है0, खसरा नं0 915 रकबा 0.94 है0 आराजी आवंटन हुई, आवंटन शुदा आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी को साबिक खसरा नं0 अनुसार ही दखल दिया गया था, एवं वादी एवं प्रतिवादी द्वारा दखल प्राप्त कर लिया था, एवं दखल अनुसार ही वादी एवं प्रतिवादी कम 1 काबिज काश्त है। वादी एवं प्रतिवादी कम 1 दखल अनुसार वर्तमान में काबिज काश्त है, लेकिन दौराने सेटलमेंट खसरा मिलान एवं रकबे व खसरा नं0 नम्बरान के पृथक—पृथक दर्ज न कर वादी के नाम आवंटन/नियमन आराजी साबिक खसरा नम्बर 487 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 352 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल 3 बीघा में से खसरा नं0 487 को खसरा नं0 486 के साथ मि0 खसरा नं0 हाल खसरा नं0 915 दर्ज कर दिया एवं वादी के नाम नियमन आराजी खसरा नं0 487 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा व हाल खसरा नं0 915 रकबा 0.94 है0 आराजी पर प्रतिवादी कम 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर विधिक भूल की है। उक्त खसरा नं0 में वादी के नाम

उसरा नं0 487 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा आराजी नियमन थी। यह आराजी सेटलमेंट एवं राजस्व कार्मिको द्वारा की गयी जो दुरूस्त योग्य है। एवं वादी प्रतिवादीगण के नाम हाल खसरा नं0 915 रकबा 0.94 है0 में से 1 बीघा 10 बिस्वा पर खातेदार घोषित होने का कानूनी अधिकार है। वादी एवं प्रतिवादी कम 1 दखल अनुसार ही काबिज काश्त है एवं प्रतिवादी कम 1 के नाम आवंटन आराजी साबिक खसरा नं0 484, 485 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा के हाल खसरा नं0 916 रकबा 0.90 है0 पर सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादी कम 1 के नाम गैर खातेदारी में दर्ज होनी थी, लेकिन सेटलमेंट राजस्व कार्मिको द्वारा सहवन से वादी के नाम नियमन आराजी को साबिक खसरा नं0 487 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा पर भी प्रतिवादी कम 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदार इन्द्राज कर कानूनी भूल की है। वादी खसरा नं0 487 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा के हाल खसरा नं0 915 रकबा 0.94 है0 में से 1 बीघा 10 बिस्वा खातेदार/गैर खातेदार घोषित होने के कानूनी अधिकारी है एवं प्रतिवादी हाल खसरा नं0 सम्पूर्ण 916 रकबा 0.90 है0 व शेष खसरा नं0 915 पर खातेदार/गैरखातेदार घोषित होने का कानूनी अधिकार है। एवं वादी एवं प्रतिवादी कम 1 इसी प्रकार मौके पर दखल अनुसार काबिज काश्त है। अतः निवेदन है कि वादी साबिक खसरा नं0 487 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा के हाल खसरा नं0 915 रकबा 0.94 है0 में से 0.24 है0 पर खातेदार/गैरखातेदार घोषित किया जावें। तथा प्रतिवादी के नाम दर्ज गैर खातेदार आराजी हाल खसरा नं0 916 रकबा 0.90 है0 सम्पूर्ण पर व शेष खसरा नं0 915 रकबा 0.94 है0 पर खातेदार/गैर खातेदार घोषित किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत होने पर दिनांक 28.08.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम पारेता ने वकालत नामा प्रस्तुत किया लेकिन जवाब दावा प्रस्तुत नही किया है। प्रकरण में वकील वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में मिलान क्षेत्रफल ग्राम तिसाया, नकल जमाबंदी सम्वत 2071–74 ग्राम तिसाया, नकल दखलनामा, नकल आवंटन पत्र, नकल नक्शा, नकल आर्डरशीट आवंटन व नकल रिपोर्ट तस्दीक प्रदर्श करवाये। प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार के दस्तावेज प्रदर्श नही करवाये गये है। वकील वादी द्वारा गवाह श्री साबूलाल पुत्र गंगाबिशन जाति मीणा निवासी तिसाया तह0 मांगरोल के बयान करवाये गये। गवाह ने अपने बयान में कथन किया कि वादी को ग्राम तिसाया तह0 मांगरोल में दिनांक 25.03.1989 को खसरा नं0 487 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नं0 352 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 आराजी 3 बीघा आवंटन हुई जिसे सेटलमेंट कार्मिको द्वारा बिना किसी अधिकार के प्रतिवादी के नाम गैर खातेदारी दर्ज कर दी जबकि खसरा नं0 915 में 0.24 है0 पर वादी के नाम गैरखातेदारी दर्ज होनी चाहिए। साथ ही निर्विवादित रूप से इस खसरा नं0 915 में 0.24 है0 आराजी पर नियमन से लेकर आज दिनांक तक वादी का ही कब्जा काश्त है। वादी द्वारा वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज नजरी नक्शा एक्स प्रदर्श 1 आर्डर शीट आवंटन आदेश, एक्स प्रदर्श 2, आवंटन आदेश एक्स प्रदर्श 3 दखलनामा एक्स प्रदर्श 4 प्रदर्शित

करवाये गये। इसलिए प्रतिवादी के नाम दर्ज सम्पूर्ण खसरा नं0 915 रकबा 0.24 है0 पर दर्ज गैर खातेदारी खारिज कर उक्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जावें।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। वकील वादी की दिनांक 15.02.2019 को एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया है जिनका वाद पत्र में अंकन किया गया है। वादी को ग्राम तिसाया तह0 मांगरोल में दिनांक 25.03.1989 को खसरा नं0 487 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नं0 352 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 आराजी 3 बीघा आवंटन हुई जिसे सेटलमेंट कार्मिको द्वारा बिना किसी अधिकार के प्रतिवादी कम 1 के नाम गैर खातेदारी दर्ज कर दी जो गलत है अतः पत्रावली में प्रदर्श करवाये गये दस्तावेजात, सुनी गयी बहस व बयान गवाह के आधार पर वाद वादी स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम तिसाया की आराजी खसरा नं0 915 रकबा 0.24 है0 जो प्रतिवादी कम 1 के गैरखातेदारी में दर्ज है को खारिज कर उक्त आराजी खसरा नं0 915 रकबा 0.24 है0 जो वादी को आवंटित हुई थी को वादी साबूलाल पुत्र श्री गंगाबिशन जाति मीणा निवासी तिसाया के गैर–खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है व खसरा नं0 915 रकबा 0.94 है0 में से शेष रकबा 0.70 है0 प्रतिवादी कम 1 के नाम गैर खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल राजस्व रेकार्ड में अंकन कर पालना से अन्दर 15 योम में अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर शुमार से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2019 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाय